पत्रांक–10 / नि0–1–(विविध)–03 / 2026 1338 /

बिहार सरकार

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग

(निबंधन)

प्रेषक,

अजय यादव,
सचिव,
बिहार, पटना।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 18.02.2026

विषयः – सात निश्चय–3 "सबका सम्मान, जीवन आसान" के तहत दस्तावेज निबंधन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि सात निश्चय–3 "सबका सम्मान, जीवन आसान" के तहत निबंधन की वर्तमान प्रक्रिया को अधिक जनोन्मुख एवं पारदर्शी बनाने हेतु यह निर्णय लिया गया है कि पक्षकार, अगर चाहें तो उनको संबंधित भूमि के बारे में आधिकारिक रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराई जाय। इस हेतु भवदीय एवं अधोहस्ताक्षरी के संयुक्त हस्ताक्षर से पत्रांक–1238 दिनांक–16.02.2026 निर्गत है।

उक्त पत्र द्वारा आम नागरिकों को अंतरित की जाने वाली भूमि के संबंध में आधिकारिक रूप से अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराये जाने की प्रक्रिया को भी स्पष्ट किया गया है। इस प्रक्रिया में अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी की भूमिका काफी महत्त्वपूर्ण है। आवेदक द्वारा प्रविष्ट की गई संपूर्ण जानकारी के आधार पर संबंधित अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी को आवेदन प्राप्ति से 10 दिनों के अंदर भूमि के बारे में अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराया जाना है। चूँकि यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2026–27 से लागू की जानी है। इसलिए यह आवश्यक इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं का प्रशिक्षण सभी अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी को दिया जाय।

अतः अनुरोध है कि निबंधन के पूर्व अंतरित की जाने वाली भूमि के संबंध में अधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने हेतु अपनायी जाने वाली प्रक्रियाओं का सभी अंचल अधिकारी / राजस्व अधिकारी को आवश्यक संस्थागत प्रशिक्षण दिये जाने हेतु व्यवस्था करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,

(अजय यादव)
सचिव,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक–10 / नि0–1–(विविध)–03 / 2026 1338 / पटना, दिनांक– 18.02.2026

प्रतिलिपिः– मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी को कृपया सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव,
बिहार, पटना।